पोस्टल बैलेट सूचना

दिनांक: 18 जनवरी, 2019 से 16 फरवरी, 2019 तक

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Date: 18th January, 2019 to 16th February, 2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005
HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.
टेली./Tel.: 020 25511360 **ईमेल/Email:** investor_services@mahabank.co.in
वेबसाइट/Website: www.bankofmaharashtra.in

शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण संप्रेषण

सेबी, ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के परिपत्र क्र. सेबी/ एचओ/ एमआइआरएसडी/ डीओपी 1/ परिपत्र/ पी/ 2018/ 73 द्वारा सभी सूचीबद्ध कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिभूति को भौतिक रूप से धारित करने वाले अपने शेयरधारकों के पैन नंबर और बैंक खाते के विवरण को अभिलेखबद्ध करें। तदनुसार, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निरस्त चेक सहित अपने पैन कॉपी की एक प्रति और बैंक विवरण रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को तुरंत प्रस्तुत करें। उक्त परिपत्र के अनुसार भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले बैंक के सभी शेयरधारकों को अलग से पत्र भेजे गए हैं।

साथ ही, सेबी (सूचीकरण अनिवार्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनिमयन, 2015 को ध्यान में रखते हुए सेबी के दिनांक 08 जून, 2018 के सूचीकरण क्रमांक सेबी/ एलएडी-एनआरओ/ जीएम/ 2018/24 और दिनांक 03 दिसंबर, 2018 के पीआर क्र. 49/ 2018 द्वारा केवल शेयरों के हस्तांतरण अथवा स्थानांतरण को छोड़कर बैंक के शेयरों के अंतरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि शेयर डिपॉजिटरी के पास डिमैट प्रारूप में न रखे गए हों। तदनुसार बैंक के उन शेयरधारकों, जिन्होंने भौतिक रूप से शेयर अपने पास रखे हैं, से अनुरोध है कि बैंक के शेयरों को तुरंत डिमैट रूप में परिवर्तित करें। 31 मार्च, 2019 के बाद भौतिक रूप में उपलब्ध प्रतिभूतियों के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

IMPORTANT COMMUNICATION TO SHAREHOLDERS

SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20th April 2018, has directed all the listed companies to record the PAN and Bank Account details of holders holdings securities in physical form. Accordingly, the shareholders holding shares in physical form are requested to submit a copy of their PAN and Bank Account details along with a cancelled cheque to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the earliest. Separate letters have been sent to the Shareholders of the Bank holding securities in physical form as per the said Circular.

Further, in view of amendments to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 vide SEBI Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated 8th June 2018, and PR No. 49/2018 dated 3rd December, 2018, requests for effecting transfer of shares of the Bank shall not be processed unless the shares are held in the dematerialized form with a depository, except in case of transmission or transposition of shares. Accordingly, the Shareholders of the Bank holding shares in physical form are requested to dematerialise the shares held by them at the earliest. Transfer of securities in physical form will not be allowed after 31st March, 2019.

पोस्टल बैलेट सूचना

प्रिय शेयरधारक,

यह सूचना, समय समय पर यथासंशोधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 22 (समय-समय पर कृत सांविधिक आशोधन या पुनर्धिनियमन सहित) में उल्लेखित अपेक्षाओं के अनुपालन में विशेष संकल्पों को पोस्टल बैलेट, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अर्थात ई-वोटिंग भी शामिल है, के माध्यम से पारित करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के (जिसे आगे से बैंक कहा जाएगा) शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करने के लिए जारी की जाती है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं उसके व्याख्यात्मक विवरण में भौतिक तथ्य एवं उसके कारण इसके साथ संलग्न किए गए हैं।

बैंक ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे की सुश्री मालती कुमार (सीओपी क्र. 10890) या उनकी जगह सुश्री अश्विनी वर्तक (सीओपी क्र.16723) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कृपया पोस्टल बैलट की सूचना और प्रपत्र दस्तावेज में उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रपत्र को पूर्ण रूप से विधिवत भर कर उसे इसके साथ संलग्न स्व-पता मुद्रित पूर्व-प्रदत्त व्यवसाय जवाबी लिफाफे (इनवोलप) में रखकर संवीक्षक को इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 16.02.2019 को कार्य समाप्ति समय अर्थात 5.00 बजे से पहले निम्नलिखित पते पर प्राप्त हो जाए।

संवीक्षक - मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी
इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र
द्वारा एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
ए-209, 2 री मंजिल, सी-विंग, गोकुल इंडस्ट्रियल ईस्टेट, सगबाग,
मरोल को-ऑप इंडस्ट्रियल क्षेत्र, टाईम्स स्क्वेअर के पीछे,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059

बैंक विशेष संकल्प पर मतदान प्रदान करने के लिए शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस पोस्टल बैलेट की सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ई-वोटिंग के संबंध में उल्लेखित निर्देशों का पालन करें।

पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग शुक्रवार 18 जनवरी, 2019 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी तथा शनिवार 16 फरवरी, 2019 शाम 5.00 बजे बंद हो जाएगी।

एजेंडा मद क्र. 1: अधिमानी आधार पर भारत सरकार को बैंक के रू.10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयर जारी करना:

विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

"प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 **("दी एक्ट")**, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 **("द स्कीम")** और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 **("द रेग्यूलेशन")**, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक **("आरबीआई")**, भारत सरकार **("जीओआई")**, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड **("सेबी")** और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और नियमों के अधीन और जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2018 **(सेबी आईसीडीआर विनियम)**, समय-समय पर यथा संशोधित और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों और स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड"कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो "सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 164 के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार **(जीओआई)** को अधिमान आधार पर 10/- प्रति मूल्य (रुपए दस मात्र) के कुल 4,498/- करोड़ (रूपए चार हजार चार सौ अठानबे करोड़ मात्र) के ईक्विटी शेयरों को (प्रीमियम सहित) नकद मूल्य पर उत्पन्न, प्रस्तावित, निर्गम तथा आबंटित करेगा।

प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक **17 जनवरी, 2019** है।

प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह प्रस्ताव भी है कि उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप

घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह प्रस्ताव भी है कि उपर्युक्तानुसार निर्गम किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने / प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य, करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित, हेतु कृत्य, कर्म, कार्य, करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/कों या बैंक के ऐसे ही किसी अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित किए जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।"

एजेंडा मद क्र.2: सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अनुसरण में कर्मचारी शेयर खरीद योजना के अधीन बैंक के पात्र कर्मचारियों को 10 करोड़ (दस करोड़) के ईक्विटी शेयर जारी करना:

विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

"**प्रस्ताव किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 (**"दी एक्ट"**), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (**"द स्कीम"**) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (**"द रेग्यूलेशन"**), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (**"आरबीआई"**), भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) जिसमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जहां लागू हो और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और नियमों के अधीन और जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014, के अनुसार आज तक संशोधित (इसके आगे **सेबी (एसबीईबी) विनियमन** के संदर्भ में है) आरबीआई, सेबी तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अधीन अधिसूचना/ परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा समय समय पर अन्य सभी लागू कानून तथा जो आज तक संशोधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएँ), 2015 के प्रावधानों में हैं, बीएसई लिमिटेड (बीएसई) नामित स्टॉक एक्सचेंज से बैंक द्वारा दर्ज युनिफॉर्म लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) तथा जो लागू, अनुमोदन(नों), अनुमति(यों) तथा मंजूरी(यों), किसी भी स्तर पर, किसी भी प्राधिकारी तथा जो किसी भी शर्त(र्तों) तथा संशोधन(संशोधनों) जो इस प्रकार के अनुमोदन(नों), अनुमति(यों) तथा मंजूरी(यों) को स्वीकृति देने के दौरान इस प्रकार के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित या लगाई जा सकती है तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जा सकती है तथा मान्य की जा सकती है, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड"कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो एक या अधिक हिस्से में, कर्मचारियों जो भारत या भारत के बाहर कार्यरत हो, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक के पद ("कर्मचारी") शामिल होंगे जैसा कि बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, सभी उद्देश्यों तथा सभी मामलों में, लाभांशो के भुगतान सहित, बैंक ऑफ महाराष्ट्र - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के अधीन (इसके आगे संदर्भ बीओएम ईएसपीएस-2018), निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसी कीमत या कीमतों तथा ऐसे नियम व शर्तों के अनुसार, जो इस प्रकार से अपने पूर्ण विवेक से 10/- प्रति मूल्य (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य के समग्रत: 10,00,00,000 (दस करोड़) तक नए ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप नकद मूल्य पर उत्पन्न, प्रस्तावित, निर्गम तथा आबंटित करेगा कि भारत सरकार की धारिता 51.00% से कम ना हो।

प्रस्ताव किया जाता है कि बैंक सेबी (एसबीईबी) विनियम के विनियमन 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगा।

प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों की सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें स्टॉक एक्सचेंजों में ''बीओएम ईएसपीएस - 2018'' के अंतर्गत आवंटित किया गया है, जहां युनिफॉर्म लिस्टिंग समझौतों के नियमों और शर्तों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के साथ प्रवेश कर, बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड ऐसे नियमों और शर्तों को लागू करने, तैयार करने, विकसित करने, निर्णय लेने और ''बीओएम ईएसपीएस - 2018'' को लागू करने के लिए अधिकृत है और इसके द्वारा बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जा सकते हैं और समय समय पर बीओएम ईपीएस - 2018 के नियम और शर्तों में किसी भी संशोधन(नों), परिवर्तन(नों), भिन्नता(एं) कांटछाट और परिशोधन शामिल है परंतु कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड के संबंध में संशोधन (संशोधनों) या ''बोर्ड-ईएसपीएस -2018'' को इस तरह से निलंबित, वापस लेने, समाप्त या संशोधित करने तक के लिए सीमित नहीं है, जैसा कि बोर्ड अपने एकमात्र

विवेकाधिकार में निर्धारित कर सकता है ''बीओएम ईएसपीएस - 2018'' के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं का निवारण करें और प्रस्तावित ''बीओएम ईपीएस - 2018'' के अनुसार जारी किए जाने वाले शेयरों को शेयरधारकों की किसी भी सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना, इस संकल्प के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से वहां अपनी स्वीकृति दी जानी चाहिए।

प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल की समिति, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपलक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक(कों) या इस तरह के बैंक के अन्य अधिकारी(यों) के लिए, निदेशक मंडल को इस पर दी गई सभी या किसी भी शक्तियों को सौंपने के लिए अधिकृत किया गया है क्योंकि यह सेबी (एसबीईबी) विनियमों और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में पूर्वोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त हो सकता है।''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

स्थान : पुणे
दिनांक : 10 जनवरी, 2019

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियां :

1. प्रस्तावित विशेष संकल्प के लिए सभी भौतिक तथ्यों और कारणों को बताते हुए व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न है।
2. पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन शेयरधारकों को भेजा जा रहा है, जिनके ईमेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, जब तक कि किसी भी शेयरधारक ने खुद को भौतिक प्रति के लिए पंजीकरण नहीं किया हो। उन शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनकी भौतिक प्रतियां अनुमत माध्यम से भेजी जा रही हैं। शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि पोस्टल बैलट का यह नोटिस बैंक की वेबसाइट, www.bankofmaharashtra.in और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात www.evotingindia.com पर उपलब्ध होगा।
3. शुक्रवार, 04 जनवरी, 2019 ("अंतिम तिथि") के शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत इक्विटी शेयरों के भुगतान-मूल्य पर मतदान के अधिकार की गणना की जाएगी। केवल वे शेयरधारक जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थियों के रजिस्टर में अंतिम दिनांक के अनुसार दर्ज किए जाएंगे, वे पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। वह व्यक्ति जो अंतिम दिनांक पर शेयरधारक नहीं है, उसे पोस्टल बैलट के इस नोटिस को केवल सूचना हेतु माना जाना चाहिए।
4. बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के उप-धारा (2 ई) के संदर्भ में, केंद्र सरकार के अलावा अन्य नए बैंक का कोई भी भागीदार, **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक** उसके पास रखे गए शेयरों के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।
5. शेयरधारक मतदान के केवल एक माध्यम का चयन कर सकते हैं, अर्थात या तो पोस्टल बैलेट फॉर्म या ई-वोटिंग। यदि किसी शेयरधारक ने अपना मत पोस्टल बैलेट फॉर्म और ई-वोटिंग दोनों से डाला, तो ई-वोटिंग के माध्यम से डाला गया वोट मान्य होगा और पोस्टल बैलेट फॉर्म के माध्यम से डाला गया वोट अवैध माना जाएगा।
6. इसके अलावा, शेयरधारक, जिन्हें ईमेल द्वारा पोस्टल बैलट का नोटिस मिला है और जो भौतिक पोस्टल बैलेट फॉर्म के माध्यम से वोट करना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in से पोस्टल बैलेट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी सचिव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे को 411005 को लिखकर प्राप्त कर सकते हैं और विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक को भेजें ताकि शनिवार, 16 फरवरी, 2019 को सांय 5.00 बजे (आईएसटी) तक या उससे पूर्व पहुँच सकें।
7. प्रस्तावों को, यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया है, तो शनिवार, 16 फरवरी, 2019 को पारित किया जाना माना जाएगा, अर्थात् यह बैंक द्वारा पूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म या ई-वोटिंग प्राप्त करने की निर्दिष्ट अंतिम तिथि है।
8. कोई भी शेयरधारक पोस्टल बैलट पर प्रॉक्सी द्वारा अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकता है।
9. जो शेयरधारक पोस्टल बैलेट फॉर्म के माध्यम से वोट करने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि पोस्टल बैलेट फॉर्म के पीछे दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उक्त फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर एवं हस्ताक्षर करने के बाद संलग्न स्वयं के पते वाले पोस्टेज प्री-पेड व्यवसाय जवाबी लिफाफे में डालकर संवीक्षक को वापस लौटा दें, ताकि वह शनिवार, 16 फरवरी, 2019 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) से पूर्व संवीक्षक को मिल जाए।
10. डाक का खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म वाले लिफाफे को कूरियर या रजिस्टर्ड/ स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से स्वयं के पते वाले पोस्टेज प्री-पेड व्यवसाय जवाबी लिफाफे में शेयरधारक के खर्च पर भेजा जाता है, तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई पोस्टल बैलेट फॉर्म शनिवार, 16 फरवरी, 2019 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) के बाद प्राप्त होता है तो ऐसा माना जाएगा कि शेयरधारक/ शेयरधारकों से

कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, कृपया नोट करें कि निम्नलिखित परिस्थितियों में पोस्टल बैलेट फॉर्म को अमान्य घोषित किया जाएगा :

i. यदि बिना किसी संदेह के शेयरधारक की सहमति/ असहमति का निर्धारण करना संभव न हो; तथा/ या

ii. यदि एक सक्षम अधिकारी द्वारा बैंक को शेयरधारक के वोटिंग अधिकार फ्रीज करने का लिखित निर्देश दिया गया हो; तथा/ या

iii. यदि फार्म को इसप्रकार बिगाड़ा या खराब किया गया हो कि उसे वास्तविक फार्म मानना संभव न हो; तथा/ या

iv. यदि शेयरधारक द्वारा वोट देते समय वर्णित प्रस्ताव में कोई संशोधन किया गया हो या कोई शर्त लगाई गई हो; तथा/ या

v. फार्म में उपलब्ध कराई गई जानकारी अधूरी या गलत हो; तथा/ या

vi. यदि पोस्टल बैलेट फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं किया गया हो या हस्ताक्षर का मिलान नहीं हो रहा हो; तथा/ या

vii. यदि बैंक द्वारा जारी पोस्टल बैलेट फॉर्म के स्थान पर कोई अन्य फार्म का इस्तेमाल किया गया हो।

11. यदि कोई शेयरधारक डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म लेने का इच्छुक है तो सदस्य द्वारा कंपनी सचिव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005 को पत्र लिखा जा सकता है। तथापि, पूर्ण रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म शनिवार, 16 फरवरी, 2019 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) से पूर्व संवीक्षक को मिल जाना चाहिए।

12. **ई-वोटिंग प्रक्रिया:**

i. निर्दिष्ट दिनांक अर्थात् **04 जनवरी, 2019 को** भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट दे सकते हैं। सभी शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा **शुक्रवार, 18 जनवरी, 2019 के सुबह 09:00 बजे से शनिवार, 16 फरवरी, 2019 के शाम 05:00 बजे तक** खुली रहेगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को ई-वोटिंग हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

I. रिमोर्ट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

क) ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

i. निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर खोलें: https://www.evotingindia.com/

ii. शेयरहोल्डर पर क्लिक करें- **लॉगइन**

iii. अब अपना यूज़र आई-डी डालें।

क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी,

ख) एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों के डीपी आई-डी के बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी,

ग) भौतिक रूप में शेयर धारण करनेवाले सदस्यों द्वारा बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर डालना चाहिए।

iv. उसके बाद प्रदर्शित इमेज वेरीफिकेशन को इंटर करें तथा लॉग-इन को क्लिक करें।

v. यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं तथा आपने पहले भी www.evotingindia.com पर लॉग-इन कर किसी अन्य कंपनी के लिए वोटिंग की है, तो आप मौजूदा पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

vi. यदि आप इसका पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

	डीमैट रूप में तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का *पैन नंबर डालें (डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों के लिए भी लागू) • जिन सदस्यों ने अपना पैन नंबर बैंक / आरटीए/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अद्यतीत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में अपने नाम के प्रथम दो अक्षर और अनुक्रम संख्या के 8 अंकों का प्रयोग करें। • यदि अनुक्रम संख्या 8 अंकों से कम की है तो अपने नाम के प्रथम दो अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के बाद अनुक्रम संख्या लिखने के पूर्व आवश्यक संख्या के लिए शून्य का प्रयोग करें। उदाहरणार्थ, यदि आपका नाम रमेश कुमार (Ramesh Kumar) है और अनुक्रम संख्या 1 है तो पैन फील्ट में RA00000001 टाइप करें।

लाभांश बैंक का ब्यौरा या जन्मतिथि (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए आरटीए के अभिलेख/ बैंक में या आपके डीमैट खाते में अभिलेखित जन्मतिथि (डीडी/एमएम/ वाईवाई फॉमैट में) या लाभांश बैंक का विवरण डालें। • यदि दोनों ही विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया निर्देश (iii) में उल्लिखित अनुसार लाभांश बैंक विवरण में सदस्य आई-डी/ फोलियो नंबर डालें।

vii. इन विवरणों को उचित रूप में डालने के बाद 'सबमिट' बटन दबाएं।

viii. इसके बाद भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य सीधे बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेशन' मेन्यू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग-इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का इस्तेमाल वोट देने हेतु पात्र होने पर किसी अन्य कंपनी प्रस्तावों हेतु वोटिंग करने के लिए भी किया जाना चाहिए बशर्ते कि सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु कंपनी का विकल्प उपलब्ध हो। आपसे अनुरोध है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सतर्कता बरतें।

ix. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए ब्यौरे का इस्तेमाल केवल इस नोटिस में उल्लिखित संकल्पों पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।

x. प्रासंगिक **<बैंक ऑफ महाराष्ट्र>** के लिए वोट देने हेतु चयनित ईवीएसएन पर क्लिक करें।

xi. वोटिंग पेज पर आपको 'रिजोल्यूशन डिस्क्रिपशन' और उसके सामने वोटिंग हेतु विकल्प 'हां/ नहीं' दिखाई देगा। इच्छानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां से तात्पर्य है कि प्रस्ताव पर आपकी सहमति है और नहीं से तात्पर्य है कि प्रस्ताव पर आपकी असहमति नहीं है।

xii. यदि आप समग्र प्रस्तावों की सूची देखने के इच्छुक हैं तो 'रिजोल्यूशन फाइल लिंक' पर क्लिक करें।

कार्यसूची मद क्रमांक 1 एवं 2 के लिए

xiii. वोटिंग पेज पर, **निर्दिष्ट दिनांक** को अर्थात् शुक्रवार, 04 जनवरी, 2019 को शेयरधारक के पास बैंक के मौजूदा शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी।

xiv. कार्यसूची मद क्रमांक 1 एवं 2 के संबंध में आप मामले के अनुसार सहमति या असहमति पर क्लिक कर सकते हैं। कृपया उचित विकल्प का चयन कर वोट करें और **'सबमिट'** पर क्लिक करें तथा सकेत दिए जाने पर **'कनफर्म'** दबाएं।

xv. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा वोट बदलने के लिए 'कैंसिल' बटन दबाएं एवं तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।

xvi. आपके द्वारा एकबार कार्यसूची मद को 'कनफर्म' किए जाने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं है।

xvii. आप वोटिंग पेज पर 'क्लिक हेयर टू प्रिंट' पर क्लिक कर किए गए वोट की प्रिंट भी ले सकते हैं।

xviii. यदि आपके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और आप अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आई-डी और इमेज सत्यापन कोड टाइप करें तथा फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करें।

xix. **शेयरधारक एनरॉयड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम-वोटिंग के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐपल और विंडो फोन का इस्तेमाल करनेवाले लोग क्रमशः ऐप स्टोर और विंडो फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल से वोट करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों का पालन करें।**

xx. **गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए नोट**

क) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-इन कर कॉर्पोरेट के रूप में अपने को पंजीकृत करना चाहिए।

ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए तथा scrutinizer@snaco.net को प्रतिलिपि भेजी जानी चाहिए।

ग) लॉग-इन ब्यौरे प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए। कम्प्लायन्स यूजर उस खाते(खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं।

घ) लॉग-इन में लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन किए जाने पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे।

ड़) बोर्ड रिजॉल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।

ख) यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका है या मुद्दा है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या आप श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, 'ए' विंग, 25वां तल, मैराथॉन फ्यूच्यूरेक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (ई), मुंबई - 400013 या टोल फ्री क्र. 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं या आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर सकते हैं।

ग) शेयरधारक अद्यतीत ई-वोटिंग दिशानिर्देश के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in- होम पेज पर इन्वेस्टर रिलेशन लिंक को भेंट दे सकते हैं।

13. पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग संपन्न होने के बाद संवीक्षक द्वारा विशेष प्रस्ताव के प्रत्येक कार्यसूची मद के पक्ष में या विरोध में पड़े कुल वोट पर एक संवीक्षक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। पोस्टल बैलेट फार्म की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

स्पष्टीकरण कथन :

कार्यसूची मद क्र.1:

सेबी (आईसीडीआर) नियमावली 2018 के अनुसार आवश्यक प्रकटन

क) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 26 दिसंबर, 2018 के संप्रेषण एफ.क्र.एफ 7/ 38/ 2014-बीओए द्वारा बैंक को सूचित किया है कि भारत सरकार (जीओआई) के पक्ष में इक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक को पूंजी के रूप में रु.4,498 करोड़ (रुपए चार हजार चार सौ अठानबे करोड़ मात्र) देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार (जीओआई) द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को आवेदन राशि भी प्रेषित की गई है तथा इसे एक अलग खाता बनाकर रखा गया है। निदेशक मंडल ने अपनी 04 जनवरी, 2019 को आयोजित बैठक में भारत सरकार को अधिमानी आधार पर रु.4,498 करोड़ (प्रीमियम सहित) के इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया है। उगाही गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार एवं बैंक के व्यवसाय वृद्धि हेतु निधियन के लिए किया जाएगा।

ख) **जारी किए जाने वाले निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या**

पोस्टल बैलेट के अंतिम दिनांक अर्थात् शनिवार, 16 फरवरी, 2019 को विशेष प्रस्ताव को पास माना जाएगा। सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अनिवार्यता) विनियमावली, 2018 की विनियमावली 161 के अनुसार गुरूवार, 17 जनवरी, 2019 प्रासंगिक दिनांक है तथा निर्गम मूल्य की गणना सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अनिवार्यता) विनियमावली, 2018 की विनियमावली 164 के अनुसार की जाएगी। निर्गम मूल्य तथा भारत सरकार ('जीओआई') को आवंटित और जारी किए जानेवाले शेयरों की संख्या प्रासंगिक दिनांक के बाद स्टॉक एक्सचेंज को सूचित की जाएगी।

ग) निर्गम के पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता का स्वरूप :

क्रम संख्या	श्रेणी	निर्गम से पूर्व	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क	प्रवर्तकों की धारिता	2260923433	87.01
ख	गैर-प्रवर्तकों की धारिता	337530974	12.99
	कुल	**2598454407**	**100.00**

निर्गम के बाद :

चूंकि भारत सरकार को आबंटित किए जानेवाले ईक्विटी शेयरों की अपेक्षित संख्या का निर्धारण संबंधित दिनांक अर्थात् गुरूवार, 17 जनवरी, 2019 को निर्गम मूल्य के निर्धारण के बाद किया जाएगा, अत: आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की संख्या के साथ-साथ निर्गम पश्चात् शेयरधारिता पैटर्न की सूचना स्टॉक एक्सचेंज सहित बैंक की वेबसाइट, ई-वोटिंग पोर्टल और बैंक की आरटीए वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इसका प्रकाशन समाचारपत्रों में भी किया जाएगा।

घ) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को जारी किया गया है, जो कि प्रमुख शेयरधारक एवं बैंक का प्रवर्तक है, अत: बैंक के प्रबंधन/ नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

ड़) भारत सरकार (जीओआई) को अधिमानी निर्गम के अंतर्गत जारी और आबंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी शेयर स्टॉक एक्स्चेंजों द्वारा जारी नए ईक्विटी शेयरों के "क्रय-विक्रय अनुमोदन" के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए अवरूद्ध रहेंगे।

च) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयरधारिता नए ईक्विटी शेयरों के "क्रय -विक्रय अनुमोदन" के दिनांक से छह माह की अवधि, जो संबंधित दिनांक से प्रारंभ होगी, के लिए अवरूद्ध रहेगी।

छ) बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2018 में उल्लेख किए अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया का कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

ज) सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक(कों) द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जा रहा है, प्रस्तावित अधिमानी निर्गम पर विचार करते हुए पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की दिनांक तक निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 पर उपलब्ध होगा।

झ) जहां आवश्यक हो, बैंक इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुनर्गणना करने का वचन देता है।

ञ) बैंक यह वचन देता है कि इन विनियमों में अनुबंधित समय-सीमा के भीतर यदि मूल्य की पुनर्गणना के कारण कोई रकम देय होती है, जिसका भुगतान नहीं हुआ है, तो आबंटिती (allottee) द्वारा ऐसी रकम के भुगतान के समय तक विशिष्ट प्रतिभूतियों को अवरुद्ध (लॉक-इन) सूची में रखा जाएगा।

ट) बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए एकसमान सूचीकरण करार और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार ईक्विटी शेयरों के सतत सूचीकरण की शर्तों का अनुपालन कर रहा है।

ठ. भारत सरकार ने संबद्ध दिनांक से पूर्व 6 माह की अवधि के दौरान बैंक के किसी ईक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है। साथ ही, जारीकर्ता बैंक में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा धारित सभी ईक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज्ड (बेकागजीकृत) स्वरूप में हैं।

निदेशक मंडल, सूचना की एजेंडा मद क्र.1 में उल्लेख किए अनुसार विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्पों में बैंक के किसी भी निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों की कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

मद क्र. 2

दीर्घकालिक संसाधनों द्वारा व्यवसाय विस्तार के लिए धन की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, साथ ही पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए और अपनेपन की भावना को बढ़ाने तथा बैंक के कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक सहित अपने स्थायी कर्मचारियों (इसके बाद एतद में "पात्र कर्मचारी" के रूप में संदर्भित) को नए इक्विटी शेयर जारी करने का बैंक प्रस्ताव करता है।

बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी (एसबीईबी) विनियम) के अनुपालन में बैंक एक योजना यथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 ("BOM ESPS - 2018") तैयार कर रहा है, जिसमें बैंक के सभी पात्र कर्मचारियों को "BOM ESPS-2018" के अंतर्गत उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार या निदेशक मंडल द्वारा या लागू कानूनों और विनियमों के अधीन ''इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए गठित ''निदेशकों की समिति'' (Committee) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इक्विटी शेयर प्रदान किए जाएंगे।

उक्त प्रस्ताव भी आवश्यक होने पर भारत सरकार / भारिबैं / स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य नियामक निकायों से अनुमोदन के अधीन है।

कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बैंक का उद्देश्य निम्नानुसार है:

- व्यवसाय वृद्धि के लिए बैंक की पूंजी और सीआरएआर को मजबूत करना।
- कर्मचारियों के बीच स्वामित्व और भागीदारी की समझ पैदा करना।
- बैंक के कर्मचारियों को आकर्षित करने और प्रेरित करने के लिए बैंक को सक्षम बनाना।

इक्विटी शेयरों को BOM-ESPS -2018 योजना के अंतर्गत उक्तानुसार जारी किया जाना प्रस्तावित है, जो बैंक द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान, यदि कोई हो, सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ हर प्रकार से समरूप (pari passu) रैंक का होगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2015) का विनियम 41 (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) यह बताता है कि जब भी बैंक द्वारा आगे कोई भी निर्गम या प्रस्ताव दिया जाता है, तो मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-रेटा आधार पर इसका प्रस्ताव दिया जाएगा, जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न लें। यदि उक्त संकल्प पारित किया जाता है, तो वह मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-रेटा आधार के अलावा प्रतिभूतियों को जारी करने और आबंटित करने के लिए बैंक की ओर से निदेशक मंडल / समिति को अनुमति देने हेतु प्रभावी होगा।

सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2015 के विनियम 6 और 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करने वाली सभी कर्मचारी लाभ योजनाएं सेबी विनियमों और किसी अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी, जो इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाई गई हैं।

साथ ही, सेबी (एसबीईबी) विनियमों के विनियम 6 और 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करने वाली सभी कर्मचारी लाभ योजनाएं सेबी विनियमों और इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य दिशानिर्देश, विनियम आदि के अनुपालन में होंगी।

"सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 41 (4) और सेबी (SBEB) विनियम, 2014 के विनियम 6 के अनुसरण में बैंक पात्र कर्मचारियों को "BOM ESPS - 2018" के अंतर्गत नए इक्विटी शेयर जारी करने और आबंटन के लिए विशेष संकल्प प्रस्तावित कर रहा है।

16 जून, 2015 के परिपत्र क्र / CFD / POLICY CELL / 2/2015 के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रदत्त आवश्यकताओं के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ योजना के व्यापक नियम और शर्तें तथा अतिरिक्त प्रकटन निम्नलिखित होंगे:

1. **योजना का संक्षिप्त विवरण :**

   बैंक ऐसे सभी नियमों और शर्तों पर बैंक के सभी पात्र कर्मचारियों को इक्विटी शेयर देने का इच्छुक है, जो "BOM ESPS - 2018" के अंतर्गत उल्लिखित हैं या जैसा कि निदेशक मंडल या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए "निदेशकों की समिति" (समिति) द्वारा तय किए जा सकते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस तरह की पेशकश के समय लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन उचित प्रीमियम के साथ रु.10 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर बैंक के 10 करोड़ (दस करोड़) इक्विटी शेयरों से अधिक न हों और जिससे भारत सरकार की धारिता 51% से कम न हो।

2. **प्रदान किए जानेवाले शेयरों की कुल संख्या:**

   "BOM ESPS - 2018" के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को समग्रत: बैंक के कुल 10 करोड़ (दस करोड़) नए इक्विटी शेयर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

3. **"BOM ESPS - 2018" योजना में लाभार्थी और भाग लेने के लिए पात्र कर्मचारियों के वर्गों की पहचान:**

   बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी शामिल हैं।

4. **निहितिकरण की आवश्यकता और निहितिकरण की अवधि :**

   लागू नहीं

5. **अधिकतम अवधि (मामले के अनुसार सेबी (SBEB) विनियम, 2014 के विनियम 18(1) और 24 (1) के अधीन जिसमें विकल्प / SARs (स्टॉक एप्रीसिएशन अधिकार) / लाभ निहित हो सकता है) :**

   लागू नहीं

6. **खरीदी मूल्य और मूल्य निर्धारण फॉर्मूला :**

   प्रस्ताव के समय निदेशक मंडल/ निदेशकों की समिति द्वारा सेबी के विनियमों के अनुसार इक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए खरीद मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला निर्धारित किया जाएगा। बैंक के पात्र कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत आबंटित किए जाने वाले शेयरों का मूल्य इक्विटी शेयरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न मात्रा के औसत भारित मूल्य के औसत के 25% से अधिक छूट पर नहीं होगा, जो उस तारीख से दो सप्ताह पहले की अवधि के दौरान एनएसई पर कोट होता है, जिसमें प्रस्ताव देने के समय समिति/ निदेशक मंडल प्रस्ताव/ खरीद मूल्य तय करती है।

7. **कार्यान्वयन अवधि और कार्यान्वयन की प्रक्रिया :**

   जिस अवधि के दौरान निदेशक मंडल / समिति के निर्णय के अनुसार यह निर्गम खुला रहेगा वह कार्यान्वयन अवधि होगी। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों को किए गए प्रस्ताव, आवेदनों की प्राप्ति और अंशदान राशि और योजना के अनुसार शेयरों के आबंटन शामिल होंगे।

8. **प्रस्तावित ईएसपीएस के लिए कर्मचारियों की पात्रता निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया:**

   योजना के प्रारंभ होने के दिनांक को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी पात्र कर्मचारी लागू

विनियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के लिए हकदार होंगे।

9. प्रति कर्मचारी जारी किए जानेवाले शेयरों की अधिकतम और समग्रतः संख्या :

बैंक कुल मिलाकर अधिकतम 10 करोड़ (दस करोड़) इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले प्रस्तावित शेयर जारी पूंजी के 1% से अधिक नहीं होंगे।

10. योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी प्रदान किए जानेवाले वाले लाभ की अधिकतम मात्रा :

योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को जारी किए गए इक्विटी शेयरों के अलावा, कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ प्रदान नहीं किया जाना है।

11. क्या योजना(एं) सीधे बैंक द्वारा या ट्रस्ट के माध्यम से कार्यान्वित और प्रशासित की जाएगी:

BOM ESPS - 2018 बैंक द्वारा सीधे कार्यान्वित और प्रशासित की जाएगी।

12. क्या योजना(ओं) में बैंक या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों द्वारा शेयरों के नए निर्गम शामिल हैं :

BOM ESPS - 2018 के अंतर्गत, बैंक पात्र कर्मचारियों को सीधे नए इक्विटी शेयर जारी करेगा।

13. बैंक द्वारा ट्रस्ट को योजना(ओं) के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जानेवाली ऋण राशि, इसकी अवधि, उपयोगिता, पुनर्भुगतान शर्तें इत्यादि:

चूंकि बैंक द्वारा BOM ESPS - 2018 के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को सीधे शेयर जारी किए जाते हैं अतः ट्रस्ट का गठन या ट्रस्ट को ऋण प्रदान करना लागू नहीं होता है।

14. सेबी विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन द्वितीयक अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत, जो योजना(ओं) के लिए ट्रस्ट द्वारा तैयार की जा सकता है

लागू नहीं।

15. इस आशय का वक्तव्य कि कंपनी सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट की गई लेखांकन नीतियों का पालन करेगी।

बैंक समय-समय पर लागू सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट की गई लेखांकन नीतियों का पालन करेगा।

16. कंपनी द्वारा एसएआर या अपने विकल्प के मूल्य के उपयोग के लिए पद्धति :

BOM ESPS - 2018 के अंतर्गत केवल इक्विटी शेयर जारी किए जाते हैं अतः SAR या विकल्प का मूल्यांकन नहीं होता है।

17. निम्नलिखित वक्तव्य, यदि लागू हो :

'यदि बैंक आंतरिक मूल्य का उपयोग करते हुए शेयर-आधारित कर्मचारी लाभों के विस्तार का चयन करता है, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और गणना की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत, यदि उचित मूल्य का उपयोग किया गया है, के बीच अंतर का निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा और लाभ तथा बैंक की प्रति शेयर आय (ईपीएस) के इस अंतर के प्रभाव का प्रकटन निदेशकों की रिपोर्ट में किया जाएगा'।

जब और जहां लागू हो, बैंक उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

18. अवरुद्धता अवधि :

बीओएम ईपीएस - 2018 के अंतर्गत जारी किए गए इक्विटी शेयरों को सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के अनुसार आबंटन के दिनांक से एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए बंद रखा जाएगा।

निदेशक मंडल, सूचना की एजेंडा मद क्र.2 में उल्लेख किए अनुसार विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों का ऊपर उल्लिखित संकल्प में कोई हित या किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

स्थान : पुणे
दिनांक : 10 जनवरी, 2019

(ए. एस. राजीव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Dear Shareholder(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as "the Bank") to pass the Special Resolutions by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. "e-Voting".

The proposed Special Resolutions and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Ms. Malati Kumar (COP no. 10890) or failing her Ms. Ashwini Vartak (COP no.16723) of M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Notice of Postal Ballot and Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 5.00 p.m. on 16.02.2019 at the following address:

The Scrutinizer - M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co.
UNIT: Bank of Maharashtra
C/o. MCS Share Transfer Agent Limited
A-209, 2nd Floor, C-Wing, Gokul Industrial Estate, Sagbaug,
Marol Co-op Industrial Area, Behind Times Square,
Andheri (East), Mumbai - 400 059.

The Bank is also providing e-Voting facility for voting on the Special Resolutions. The Shareholders desiring to opt for e-Voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal Ballot and instructions given thereunder for e-Voting purpose.

The Postal Ballot and e-voting will commence from 9.00 a.m., **Friday, 18th January, 2019** and end on **5.00 p.m., Saturday, 16th February, 2019.**

Agenda item no.1: Issue of Equity shares of Rs.10/- each of Bank to Government of India on preferential basis:

To consider and if thought fit to pass the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**"The Act"**), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**"The Scheme"**) and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (**"The Regulations"**), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), Government of India (**"GOI"**), Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modification/s thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 **(SEBI ICDR Regulations)** as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges, where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price (including premium) as determined in accordance with Regulation 164 of SEBI ICDR Regulations aggregating **Rs.4,498 Crore** (Rupees Four Thousand Four Hundred and Ninety Eight Crore only) on Preferential basis to Government of India **("GOI")**.

RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is fixed as 17th January, 2019.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where equity shares of the Bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approvals thereto expressly by the authority of this Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive officer or Executive Director(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Agenda item no.2: Issue of 10 crore (Ten crore) Equity shares to eligible employees of the Bank under Employee Share Purchase Scheme (ESPS) in terms of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

To consider and if thought fit to pass the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (**"The Act"**), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**"The Scheme"**) and Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (**"The Regulations"**), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions, and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date (hereinafter referred to as **SEBI (SBEB) Regulations**), guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable, approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to **10,00,00,000 (Ten Crore)** new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under the Bank of Maharashtra - Employee Share Purchase Scheme, 2018 (hereinafter referred to as "BOM ESPS - 2018"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 51.00%.

RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (SBEB) Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "BOM ESPS - 2018" on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "BOM ESPS - 2018" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the BOM ESPS - 2018", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "BOM-ESPS -2018" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "BOM ESPS - 2018" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "BOM ESPS - 2018" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to a Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (SBEB) Regulations and other applicable laws, rules and regulations."

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Maharashtra**

Place: Pune
Date: 10th January, 2019

(A.S. Rajeev)
Managing Director & CEO

NOTES:

1. The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed Special Resolutions are annexed hereto.
2. This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any Shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank's website, www.bankofmaharashtra.in and on the website of Central Depository Services (India) Limited i.e. www.evotingindia.com
3. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on Friday, 04th January, 2019 ("Cut-off date"). Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-Voting. A person who is not a Shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.
4. In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**
5. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e., either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any shareholder cast his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote cast through e-Voting shall prevail and the vote cast through Postal Ballot Form shall be considered invalid.
6. Further, Shareholders, who have received the Notice of Postal Ballot by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.bankofmaharashtra.in or by writing to the Company Secretary, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune 411005 and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach on or before 5.00 p.m. (IST) on Saturday, 16th February, 2019.
7. The resolutions, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on Saturday, 16th February, 2019 i.e., the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-Voting.
8. A shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.
9. The Shareholders desiring to exercise their vote by Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Postal Ballot Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. (IST) on Saturday, 16th February, 2019.
10. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/ speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after 5.00 p.m. (IST) on Saturday, 16th February, 2019, it will be considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:
    i) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/ or
    ii) a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or
    iii) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or

iv) the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or

v) the details provided in the form are incomplete or incorrect; and/or

vi) Postal Ballot Form is not signed or signature does not tally; and/or

vii) if the Postal Ballot Form other than the one issued by the Bank is used.

11. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a duplicate Postal Ballot Form, the Member may write to the Company Secretary at Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune 411005. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before 5.00 p.m. (IST) on Saturday, 16th February, 2019.

12. **e-Voting process:**

(i) Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut-off Date(s)** i.e. **04th January, 2019** may cast their vote electronically. E-voting facility shall remain open to all shareholders from **09:00 a.m. on Friday, 18th January, 2019 till 05:00 p.m. on Saturday, 16th February, 2019**. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

I. The process and manner for remote e-voting are as under:

a) Follow steps to cast E-vote:

(i) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evotingindia.com/

(ii) Click on Shareholder – **Login**

(iii) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

(vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(x) Click on the EVSN for the relevant **<BANK OF MAHARASHTRA>** on which you choose to vote.

(xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

For Agenda Item No.1 & 2

(xiii) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder of the Bank as on the Cut-off Date i.e. Friday, 04th January, 2019 will appear.

(xiv) In respect of Agenda item No.1& 2, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "**SUBMIT**" and also "**CONFIRM**" when prompted.

(xv) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the agenda items, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xviii) If you are holding shares in electronic form and have forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) **Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**

(xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.

b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and cc to scrutinizer@snaco.net

c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

d) The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

e) A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

b) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia. com, under help section or you may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, 'A' Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400 013 or contact at a toll free number 1800-22-5533 or you may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

c) Shareholders may visit Bank's website www.bankofmaharashtra.in – Investor Relations link on home page for updated e-voting instructions.

13. The Scrutinizer shall, after the conclusion of voting through Postal Ballot, make a Scrutinizer's Report on the total votes cast in favour or against the Special Resolutions as set out in each of the Agenda Items, to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD&CEO) or any of the Executive Directors of the Bank as authorised by the Board of Directors or any other person authorised by him, who shall countersign the same. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final and binding.

EXPLANATORY STATEMENT

Agenda item no.1:

DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018.

a) Government of India, Ministry of Finance, Department of Finance vide its communication F.No.7/38/2014-BOA dated 26th December, 2018 has informed the Bank about infusion of Capital to the tune of Rs.4,498 Crore (Rupees Four Thousand Four Hundred and Ninety Eight Crore only) by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India (GOI). GOI has also remitted the application money on 31st December, 2018 and the same is maintained in a separate account. The Board of Directors, in its meeting held on 04th January, 2019 has approved the proposal of issuing equity shares aggregating upto Rs.4,498 Crore (including premium) to Government of India on preferential basis. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the Bank's business growth.

b) **Maximum number of specified securities to be issued:**

The Special Resolution shall be deemed to be passed on the last date of Postal Ballot i.e., Saturday, 16th February, 2019. Pursuant to Regulation 161 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the Relevant Date is Thursday, 17th January, 2019 and the Issue Price will be calculated in accordance with Regulation 164 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The Issue Price and the number of Shares to be issued and allotted to the Government of India ("GOI") shall be intimated to the Stock Exchanges after the Relevant Date.

c) Shareholding Pattern before and after the Issue:

Sr. No.	Category	Before the Issue	
		No of Shares held	% share holding
A	Promoter Holding	2260923433	87.01
B	Non Promoter Holding	337530974	12.99
	Total	**2598454407**	**100.00**

After the Issue:

As requisite number of Equity Shares to be allotted to the GOI shall be ascertained only after the determination of Issue Price on Relevant Date i.e. Thursday, 17th January, 2019, the number of equity shares to be allotted as well the Post Issue Shareholding pattern will be intimated to the Stock Exchanges as well as hosted on the website of the Bank, the e-voting portal and the website of Bank's RTA. The same will also be published in newspapers.

d) As the entire issue is being made to the Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in the management/ control of the Bank.

e) All the shares proposed to be issued and allotted under Preferential Issue to the Government of India (GOI) shall be locked in for a period of three years from the date of 'trading approval' of new equity shares granted by the Stock Exchanges.

f) The entire pre-preferential shareholding of Government of India will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of 'trading approval' of new equity shares.

g) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

h) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations shall be available at the Registered Office of Bank at Investor Services Department, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune 411005 till the date of announcement of results of the Postal Ballot considering the proposed preferential issue.

i) The Bank undertakes to re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so.

j) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

k) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Uniform Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. Further, all the equity shares held by the Government of India (GOI) in the Issuer Bank are held in Dematerialized Form.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in agenda item No.1 of the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda item no.2:

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board, as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, and also to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new Equity shares to its Permanent Employees including Managing Director and CEO and Executive Directors of the Bank (hereinafter referred as "Eligible Employees").

The Bank is formulating a Scheme viz., Bank of Maharashtra - Employee Share Purchase Scheme, 2018 ("BOM ESPS - 2018") in compliance with Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI (SBEB) Regulations) to grant equity shares to Eligible Employees on such terms and conditions as stated under "BOM ESPS - 2018" or as may be decided by the Board or "Committee of Directors" to be constituted for issue of equity shares" (Committee) subject to the applicable Laws and Regulations.

The said proposal is also subject to approvals from GOI / RBI / Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

The Objective of the Bank to issue the equity shares to employees inter alia is as under:

- To strengthen the capital & CRAR of the Bank for business growth.
- To create a sense of ownership and participation amongst the employees.
- To enable the Bank to attract and motivate the Bank's Employees.

The equity shares proposed to be issued as above under the Scheme BOM-ESPS -2018 shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

Regulation 41 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Regulations), 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board / Committee on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (SBEB) Regulations, all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by Securities and Exchange Board of India in this regard.

In compliance with Regulation 41 (4) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Regulation 6 of SEBI (SBEB) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees under the Scheme "BOM ESPS - 2018".

As per the requirements enumerated by Securities and Exchange Board of India through Circular No.CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the scheme and additional disclosures:

1. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank is desirous of offering equity shares to all Eligible Employees of the Bank on such terms and conditions as stated under "BOM ESPS - 2018" or as may be decided by the Board or "Committee of Directors" (Committee) for issue of equity shares subject to the applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter alia, not exceeding 10 crore (Ten crore) equity shares of Bank at a face value of Rs.10/ each with appropriate premium, at the time of making offer in such a way that Government of India holding does not fall below 51%.

2. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED:

Upto 10 crore (Ten core) new equity shares of Bank in aggregate are proposed to be offered to the eligible employees under pursuant to the BOM ESPS - 2018.

3. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTIPATE AND BENEFICIARIES IN THE SCHEME "BOM ESPS - 2018":

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank.

4. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

Not applicable.

5. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, 2014 AS THE CASE MAY BE WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs (STOCK APPRECIATION RIGHTs)/BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable.

6. PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

Purchase Price or pricing formula will be determined by the Board/ Committee of Directors for issue of Equity shares as per SEBI regulations at the time of making offer. The price of the shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount not more than 25% of average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board / Committee fixes the Offer / purchase Price at the time of making offer.

7. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

8. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMNING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

All Eligible Employees including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of commencement of the Scheme will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

9. MAXIMUM NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE:

The Bank proposes to issue maximum of 10 crore (Ten crore) equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital.

10. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:

Other than Equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme, no other benefit is to be provided to the Employees.

11. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:

BOM ESPS - 2018 will be implemented and administered directly by the Bank.

12. WHETHER THE SCHEMES(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE BANK OR SECONDRAY ACUQISITION BY THE TRUST OR BOTH:

Under the **BOM ESPS - 2018**, the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

13. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE BANK TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC:

As the shares are directly issued to the eligible employees under **BOM ESPS - 2018** by the Bank, formation of the trust or providing loan to the Trust does not arise.

14. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISTION SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PUPOSES OF THE SCHEME(S):

Not Applicable.

15. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 of SEBI (SBEB) REGULATIONS, 2014:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (SBEB) Regulations, 2014 as applicable from time to time.

16. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs:

As only Equity shares are issued under **BOM ESPS - 2018**, the valuation of options or SARs does not arise.

17. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

In case the Bank opts for expensing of share-based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share (EPS) of the Bank shall be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

18. LOCK IN PERIOD:

The equity shares issued under **BOM ESPS - 2018** shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in agenda item no.2 of the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

By Order of the Board of Directors
For **Bank of Maharashtra**

Place: Pune
Date: 10th January, 2019

(A.S. Rajeev)
Managing Director & CEO

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

ईसीएस फार्म

(केवल भौतिक शेयर धारण किए शेयरधारकों हेतु)

सेवा में,

एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (आरटीए)
इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र
ए-209, 2 री मंजिल, सी-विंग, गोकुल इंडस्ट्रियल ईस्टेट, सगबाग,
मरोल को-ऑप इंडस्ट्रियल क्षेत्र, टाईम्स स्क्वेअर के पीछे,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059
दूरभाष: (022) 28516020/21/22
इमेल: helpdeskmum@mcsregistars.com

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय : डाकपते सहित बैंक खाता/ पैन/ ईमेल आईडी के ब्यौरे का अद्यतन

मैं/ हम निम्नलिखित जानकारी मेरे/ हमारे फोलिया क्र.: ..... में अभिलेख/ अद्यतन करने का अनुरोध करते हैं :

1. पहला/ एकल शेयरधारक का नाम:	
2. पंजीकृत फोलियो क्र.:	
3. पता :	पिन कोड:
4. इमेल आईडी:	
5. पैन क्र.:	
6. संपर्क क्र.:	
7. बैंक खाते का विवरण :	
क. बैंक का नाम	
ख. शाखा का नाम और उसका पता	पिन कोड :
ग. बैंक खाता क्रमांक	
घ. बैंक शाखा का आइएफएससी कोड	
ङ. माइकर क्र.	

डकृपया उपरोक्त विस्तृत जानकारी की जांच हेतु पते, पैन की स्व-प्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) प्रति और रद्द किया गया चेक (वर्तमान में सक्रिय खाते का) संलग्न करें।.

मैं/ हम यहां घोषित करता हूं/ करते हैं कि उपरोक्त दिए गए ब्यौरे सही और पूर्ण हैं।

दिनांक :
स्थान :

(शेयरधारक का हस्ताक्षर)

कृपया यह नोट करें कि यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) फॉर्म में शेयर धारित किए हैं, कृपया उपरोक्त जानकारी अद्यतन हेतु सीधे आपके डिपॉजिटरी भागीदार को प्रदान करें।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

ECS FORM

(for Shareholders holding physical shares only)

To,

MCS Share Transfer Agent Limited (RTA)
Unit: Bank of Maharashtra
A-209, C-Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate,
Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area,
B/H Times Square, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Tel.: (022) 28516020/21/22
Email: helpdeskmum@mcsregistrars.com

Dear Sir/ Madam,

Sub: Updation of details of Bank Account / PAN/ Email ID along with postal address.

I/ We request you to record/ update the following information against my/ our Folio No. .....

1. First / Sole Shareholder's name:	
2. Registered Folio No.:	
3. Address:	Pin code:
4. Email ID:	
5. PAN No.:	
6. Contact Nos.:	
7. Particulars of Bank Account:	
a. Bank Name	
b. Branch Name and its address	Pin code:
c. Bank Account Number	
d. IFSC code of the Bank Branch	
e. MICR No.	

(Please enclosed self-attested copy of Address proof, PAN and cancelled Cheque (of presently active a/c) for verification of the above details).

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Date :

Place : **(signature of Shareholder)**

Please note that in case you hold shares in electronic (Demat) form, kindly provide the above information directly to your Depository participant for updation.

This page has been intentionally left blank

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd. • Tel.: 022-4033 6400

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

पंजीकृत कार्यालयः 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005
Registered Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune – 411 005

पोस्टल बैलट फॉर्म / POSTAL BALLOT FORM

(इस प्रपत्र को भरने से पहले पीछे मुद्रित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

(Please read the instructions printed overleaf carefully before completing this form)

क्रम संख्या / Serial No.

एकल/ पहले शेयरधारक का नाम तथा पंजीकृत पता
Name and registered address of the sole/ first named Shareholder

संयुक्त शेयरधारक(कों) का/के नाम, यदि कोई हो
Name of the joint Shareholders(s), if any.

पंजीकृत फोलियो संख्या/ *डीपी - ग्राहक आईडी क्र. (*डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों को लागू)
Registered Folio No./ *DP - Client ID No. (*Applicable to Shareholders holding shares in dematerialized form)

धारित शेयर(रों) की संख्या
Number of share(s) held

मैं/ हम, डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के द्वारा पारित किए जाने वाले विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपना मत देते हैं जोकि बैंक के दिनांक 10 जनवरी, 2019 के डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों के लिए है तथा इस संबंध में मैं/ हम कथित प्रस्तावों के बारे में अपनी सहमति या असहमति नीचे दिए गए उचित कॉलम में (√) चिह्न लगाकर करते हैं :

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolutions to be passed through Postal Ballot for the businesses stated in the Notice of Postal Ballot dated 10th January, 2019 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolutions by placing the tick (√) mark at the appropriate box below :

अनु. क्र. Sr. No.	एजेंडा मद का ब्यौरा Particulars of Agenda Item	धारित किए शेयरों की संख्या No. of Shares held	प्रस्ताव के लिए मेरी सहमति (पक्ष में) I assent to the resolution (For)	प्रस्ताव के लिए मेरी असहमति (विपक्ष में) I dissent to the resolution (Against)
1	प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयरों की संख्या उत्पन्न, प्रस्तावित, निर्गम व आवंटित करने के लिए जोकि कुल ₹ 4,498/- करोड़ (रुपए चार हजार चार सौ अठानबे करोड़ मात्र) के भारत सरकार ('जीओआई') के लिए प्राथमिकता आधार पर नकदी के लिए सेबी (पूंजी निर्गम तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2018 के अनुसार निर्धारित किया जाना है। **(विशेष प्रस्ताव)।** To create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price as determined in accordance with the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 aggregating to ₹ 4,498 Crore (Rupees Four Thousand Four Hundred and Ninety Eight Crore only) on Preferential basis to Government of India ("GOI"). **(Special Resolution)**.			
2	सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 के अनुसरण में एक या अधिक हिस्से में कर्मचारी शेयर खरीद योजना (इएसपीएस) के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को 10 करोड़ (दस करोड़) तक इक्विटी शेयर जारी करना। **(विशेष प्रस्ताव)** । To issue upto 10 crore (Ten crore) Equity shares to eligible Employees of the Bank under Employee Share Purchase Scheme (ESPS) in one or more tranches in terms of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014. **(Special Resolution)**.			

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

शेयरधारक के हस्ताक्षर / Signature of the Shareholder

नोटः / NOTE: इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए नोटिस में संलग्न निर्देशों का संदर्भ लें। ई-वोटिंग शुक्रवार 18 जनवरी, 2019 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी तथा शनिवार 16 फरवरी, 2019 शाम 5.00 बजे को बंद होगी। संवीक्षक द्वारा डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट फार्म) प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि शनिवार, 16 फरवरी, 2019 सायं 5.00 बजे (आइएसटी) तक।

For Electronic Voting, please refer the instructions in the Notice attached herewith. E-voting will commence from 9.00 a.m., Friday, 18th January, 2019 and end on 5.00 p.m., Saturday, 16th February, 2019. Last date for receipt of Postal Ballot Forms by Scrutinizer is Saturday, 16th February, 2019 upto 5:00 PM (IST).

ई-वोटिंग ब्यौरा / E-VOTING PARTICULARS

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट क्रमांक) EVEN (E- Voting Event Number)	यूजर आईडी / USER ID	पासवर्ड / पिन PASSWORD / PIN
190110003	आपका फोलियो / डीमेट खाता संख्या Your Folio / Demat Account Number	आपके पास पहले से उपलब्ध हो या आप जनरेट कर सकते है Already with you or you can generate

निर्देशः

1. पोस्टल बैलेट द्वारा वोट का प्रयोग करने की इच्छा रखने वाला शेयरधारक इस पोस्टल बैलेट फॉर्म को पूरा भरें और इसे संलग्न स्व-संबोधित डाक प्री-पेड लिफाफे में संवीक्षक (स्क्रूटिनाइज़र) को भेजें। पोस्टल बैलेट वाले लिफाफे, यदि व्यक्तिशः जमा किए गए शेयरधारक द्वारा खर्च वहन कर कूरियर द्वारा भेजे गए, तो भी स्वीकार किए जाएंगे।
2. यह फॉर्म पूरा भरा जाना चाहिए और शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए (बैंक / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार। संयुक्त धारिता के मामले में, इस फॉर्म को पहले नामित शेयरधारक द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में अगले नामित शेयरधारक द्वारा पूरा व हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
3. कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटीज आदि द्वारा धारित शेयरों के मामले में, विधिवत पूरा पोस्टल बैलेट फॉर्म प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के साथ होना चाहिए। जहां फॉर्म पर भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, नामांकन की प्रमाणित प्रति पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
4. उपयुक्त कॉलम में टिक मार्क (√) करके सहमति को कॉलम फॉर (FOR) में और असहमति को कॉलम अगेन्स्ट ('AGAINST') में दर्ज करना चाहिए।
5. अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या दोषपूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म अस्वीकार किए जा सकते हैं।
6. एक शेयरधारक को सभी वोटों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही सभी वोटों को एक ही तरह से डालने की आवश्यकता है।
7. विधिवत पूरा किया गया पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक के पास शनिवार, 16 फरवरी, 2019 को कार्यसमय समाप्ति अर्थात् शाम 5.00 से पूर्व पहुंच जाना चाहिए। इस तारीख के बाद प्राप्त सभी पोस्टल बैलेट फॉर्म ऐसे माने जाएंगे जैसे कि उस शेयरधारक का जवाब प्राप्त नहीं हुआ हो।
8. यदि आवश्यक हो तो शेयरधारक एक डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, पूरी तरह से भरा हुआ डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक के पास उपरोक्त मद क्रमांक 7 में निर्दिष्ट तारीख से पूर्व पहुंच जाना चाहिए।
9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि संलग्न पोस्टेज प्री-पेड स्व-पता लिफाफे में पोस्टल बैलेट फार्म के साथ कोई अन्य पेपर न भेजें।
10. वोटिंग के अधिकार की गणना अंतिम दिनांक अर्थात् शुक्रवार, 04 जनवरी, 2019 को शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर की जाएगी।
11. पोस्टल बैलेट फॉर्म की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।
12. पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग के परिणामों की घोषणा सोमवार, 18 फरवरी, 2019 को या उससे पूर्व की जाएगी तथा बैंक के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा, सेंट्रल डिपोजेटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और बैंक की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
13. ई-वोटिंग : सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 की विनियमावली 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 108 और बाद में बने नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा (सीडीएसएल के ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से) उपलब्ध करा रहा है जो शेयरधारकों को भौतिक बैलेट फॉर्म भेजने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट करने हेतु सक्षम बनाएगा। कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग वैकल्पिक है। यदि कोई शेयरधारक दोनों माध्यमों से वोट करता है अर्थात् भौतिक बैलेट के साथ-साथ ई-वोटिंग तो ई-वोटिंग के माध्यम से दिए गए वोट को मान्यता दी जाएगी तथा उस शेयरधारक के भौतिक वोट को अवैध माना जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए नोटिस और उसके बाद के नोटों का संदर्भ लें।

INSTRUCTIONS:

1. A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the shareholder will also be accepted.
2. This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named shareholder and in his absence, by the next named shareholder.
3. In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution / Authorisation. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
4. The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (√) in the appropriate column.
5. Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
6. A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
7. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. 5.00 p.m., on Saturday, 16th February, 2019. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such shareholder has not been received.
8. A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
9. Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self-addressed envelope.
10. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the cut off date i.e. Friday, 04th January, 2019.
11. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
12. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before Monday, 18th February, 2019 and displayed on the Notice Board of the Bank at its Registered Office, intimated to the stock exchanges, hosted on the website of the Bank and Central Depository Services (India) Limited.
13. E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility (through e-voting platform of CDSL) as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e., Physical Ballot as well as E-voting, then voting done through E-voting shall prevail and Physical Voting of that shareholder shall be treated as invalid. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes there to, for detailed instructions with respect to e-voting.